

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

क्रमांक एफ-3/मुख्या/सां/आईटी/35-सी/11/65 दिनांक: 21/11/11

कार्यालय-आदेश

यात्री द्वारा ई-टिकट के माध्यम से टिकट बुकिंग पर उसके मोबाईल पर एस.एम.एस. के जरिये टिकट बुकिंग एवं पी.एन.आर. नम्बर की सूचना दी जा रही है, यात्री को इस एस.एम.एस. के आधार पर टिकट का प्रिन्ट आउट लिये बिना यात्रा की अनुमति होगी। इस हेतु परिचालक द्वारा यात्री के मोबाईल पर प्राप्त एस.एम.एस. में दर्ज पी.एन.आर. नम्बर का अपने डी.एस.ए. से मिलान एवं यात्री के पहचान पत्र (आई.डी.प्रुफ) के सत्यापन के पश्चात यात्रा की अनुमति प्रदान करनी होगी।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

क्रमांक एफ-3/मुख्या/सां/आईटी/35-सी/11/65 दिनांक: 21/11/11  
प्रतिलिपी:-

- 1 निजी सचिव, श्रीमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रापनि, मुख्यालय-जयपुर।
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष ( ), राज.परि.निगम, मुख्यालय-जयपुर।
- 3 महा प्रबंधक/संयुक्त महा प्रबंधक ( ) रापनि, मुख्यालय-जयपुर।
- 4 जोनल मैनेजर, राजस्थान परिवहन निगम, ----- जोन।
- 5 उप महा प्रबंधक/कार्यकारी प्रबंधक ( ) रापनि, मुख्यालय-जयपुर।
- 6 मुख्य उत्पादन प्रबंधक/लेखाधिकारी ( ) रापनि, के.का.-----
- 7 मुख्य प्रबंधक/प्रबंधक (वित्त/प्रशासन) राज.परि.निगम, ----- आगार।
- 8 आदेश/रक्षित पत्रावली।

उप महा प्रबंधक (सांख्यिकी)